न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 08 / 2022 **दायर दिनांकः 16 / 02 / 2022**

उनवान

1. रामभरोसी पुत्री बाबूलाल जाति बोला (रेगर)
2. कांतिबाई पुत्री बाबूलाल जाति बोला (रेगर)
3. जमनाबाई पुत्री बाबूलाल जाति बोला (रेगर) निवासीगण पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां हाल मुकाम बडोरा तहसील अटरू जिला बारां।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीगणः—विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गोतम

निर्णय दिनाकः 29 / 09 / 2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां की प्रार्थियागण / वादीयागण निवासनी है। जिनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीयागण / वादियागण के अलावा अन्य कोई मृतकों के वारिस नहीं है। दिनांक 21.03.1970 को प्रार्थियागण / वादियागण के पिता श्री बाबूलाल पुत्र मंगला जाति बोला की ख0नं0 503 की 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि अलोट हुई थी। जो इंतकाल नं0 101 ग्राम पिपलोद से अलोट हुई थी। जो ग्राम पिपलोद में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है तथा बाद अलोट से ही प्रार्थियागण के पिता इस भूमि को कब्जा काश्त करते रहे है। जो प्रदर्श 1 से 3 है। ख0नं0 503 का नया ख0नं0 603 है। बाबूलाल जी का नाम गैर खातेदारी के रूप में जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 तक बाबूलाल पुत्र मंगला जाति बोला के स्थान पर जाति सहर अंकित हो गई है। जबकि बाबूलाल मंगला सहर नाम का कोई व्यक्ति पिपलोद में नहीं है। दस्तावेज प्रदर्श 4 है।

गांवों में प्रार्थियागण की जाति को बोला ही कहा जाता है। शिक्षित वर्ग रेगर कहते है, रेगर और बोला दोनों एक ही जाति है। इस वजह से प्रार्थियागण/वादियागण ने प्रतिवादी से दिनांक 25.01.2022 को पुराने रिकार्ड के अनुसार जाति में संशोधन कर सहर के स्थान पर बोला करने को कहा तो उनने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा। इस वजह से यह कार्यवाही श्रीमान की सेवा में पेश की जा रही है। वाद कारण दिनांक 25.01.2022 को प्रार्थियागण द्वारा अप्रार्थी से रिकार्ड के आधार पर नाम दुरूस्त करवाने की कहने पर एवं प्रतिवादी द्वारा माननीय में कार्यवाही पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी ग्राम पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। श्रीमान राजस्थान सरकार को विधिक नोटिस 80 सीपीसी का दे दिया गया है। परन्तु आवश्यक प्रवृति का मामला होने से यह वाद पेश है। उक्त वाद/प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक प्रार्थियागण/वादियागण विरूद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादी पारित की जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 02 में वर्णित भूमि जो दिनांक 21.03.1970 को बाबूलाल पुत्र मंगला जाति बोला को 3 बीघा 4 बिस्वा अलोट हुई थी। जो खाता नं0 170 ग्राम पिपलोद तहसील अटरू में उनके गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है तथा अलोट हुई तब से प्रार्थियागण के पिता एवं उनकी मृत्युउपरान्त प्रार्थियागण ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है एवं जिसके नये ख0नं0 503 का नया ख0नं0 603 बनाया गया है। उसमें प्रार्थियागण के पिता बाबूलाल पुत्र मंगला जाति सहर के स्थान पर बोला दर्ज की जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थियागण को प्रदान की जावे। गावों में हमारी जाति को बोला कहा जाता है एवं शिक्षित वर्ग रेगर कहते है। इसलिये रेगर व बोला जाति एक ही है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 5 के शपथ पत्र पेश किये गये । जमनाबाई पुत्री बाबूलाल जाति रेगर (बोला) निवासी पिपलोद एवं रामभारोसी पुत्री बाबूलाल जाति रेगर (बोला) निवासी पिपलोद द्वारा शपथ पत्र पेश कर कथन किया गया कि हमारी जाति बोला है। इसे शिक्षित भाषा में रेगर भी कहा जाता है। बोला एवं रेगर एक ही जाति है।

किशनलाल पुत्र प्रभूलाल जाति रेगर निवासी अटरू, छीतरलाल पुत्र राधेश्याम जाति बोला निवासी आंकोदिया तहसील किशनगंज, नाथूलाल पुत्र गणेशराम जाति बोला निवासी बडोरा तहसील अटरू ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि हमारी जाति को गावों में बोला कहा जाता है। शिक्षा का प्रसार हो जाने से बोला जाति को ही रेगर कहा जाता है। रेगर व बोला दोनों शब्द (जाति) एक दूसरे के पर्याय है। ग्राम पिपलोद के बाबूलाल पुत्र मंगला जाति बोला (रेगर) मेरे समाज के है जो रेगर (बोला) जाति के है।

4. अभिभाषक प्रार्थीयागण की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीयागण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम पिपलोद की आराजी साबिक ख0नं0 503 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थीगण के पिता बाबूलाल पुत्र मंगला जाति बोला को 21.03.70 को आवंटित हुई थी। आवंटी बाबूलाल की उपजाति बोला है जो जाति रेगर के अन्तर्गत आती है और समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार की अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत आती है। राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जमाबन्दी संवत 2035–38 बनाते समय आवंटी की जाति बोला की जगह गैरकानूनी तरीके से सहर दर्ज कर दी गई है। सहर जाति समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–76 में राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा सहर की जगह सहरिया दर्ज कर दी गई है। अतः राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गैरकानूनी तरीके से प्रार्थी के पिता की जाति बोला (एस0सी0) से सहर/सहरिया (एस0टी0) दर्ज कर दी गई है जिसे दुरूस्त फरमाया जावे।

5. अभिभाषक प्रार्थीयागण की बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत पिपलोद की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 111 से साबिक ख0नं0 503 की 3 बीधा 4 बिस्वा भूमि बाबूलाल पुत्र मंगला जाति बोला निवासी पिपलोद

के गैरखातेदारी दर्ज की गई । ग्राम पिपलोद की जमाबंदी संवत 2031–34 के अवलोकन से जाहिर है कि साबिक ख0नं0 503 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा गैरखातेदार बाबूलाल पुत्र मंगला के नाम दर्ज है जिसमें बाबूलाल पुत्र मंगल की जाति बोला दर्ज है। वादी द्वारा पेश समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार की अनुसूचित जाति की सूचि मार्कड–ए के अनुसार जाति बोला अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है।

ग्राम पिपलोद की अगली चौसाला जमाबन्दी संवत 2035–38 में ख0नं0 503 के गैरखातेदार बाबूलाल पुत्र मंगला की जाति सहर दर्ज कर दी गई है। गैरखातेदार की जाति में यह परिवर्तन किस न्यायालय या प्राधिकार के आदेश से किया गया –का जमाबन्दी में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सेटलमेन्ट से बाद की जमाबन्दी सवंत 2061–64 में भी खातेदार बाबूलाल पुत्र मंगला की जाति सहर दर्ज है जिसे अगली चौसाला जमाबन्दीयों में सहरिया बना दिया गया है। सहरिया जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती हैं।

प्रार्थीगण द्वारा पेश खातेदार बाबूलाल पुत्र मंगला का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 7, प्रार्थीगण की मां कालीबाई पत्नी बाबूलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 8, प्रार्थीया क्रम 1 रामभरोषी पुत्री बाबूलाल का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श 9, प्रार्थीया क्रम 3 जमना बाई पुत्री बाबूलाल का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 एवं मृतक खातेदार बाबूलाल पुत्र मंगला के राशन कार्ड संख्या 765 (मार्ड डी) आदि के आधार पर प्रार्थीगण के पिता बाबूलाल पुत्र मंगला की जाति रेगर (एस0सी0) होना साबित होती है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश शपथ पत्र मार्कड 'ई' में शपथकर्ता किशनलाल पुत्र प्रभूलाल जाति रेगर द्वारा 50/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ बयान किया है कि गावों में रेगर जाति को ही ''बोला'' कहा जाता है। शिक्षा का प्रसार होने से अब हमें रेगर कहते है। इसी प्रकार शपथकर्ता मार्कड 'जी' में शपथकर्ता छीतरलाल पुत्र राधेश्याम जाति रेगर द्वारा 50/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ बयान किया है कि गावों में रेगर जाति को ही ''बोला'' कहा जाता है। शिक्षा का प्रसार होने से बोला जाति को ही रेगर कहा जा रहा है। रेगर व बोला दोनों जाति एक दूसरे के पर्याय है। इसी प्रकार शपथकर्ता मार्कड 'एफ' में शपथकर्ता नाथूलाल पुत्र गणेशराम जाति बोला निवासी बडोरा द्वारा 50/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ बयान किया है कि गावों में हमारी जाति को ''बोला'' कहा जाता है। शिक्षा का प्रसार होने से बोला जाति को अब रेगर कहा जा रहा है। रेगर व बोला दोनों जाति एक दूसरे के पर्याय है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य साबित होता है कि प्राथियागण के पिता बाबूलाल पुत्र मंगला की जाती बोला/रेगर है जिसे प्रतिवादी द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश से सहर/सहरिया दर्ज कर दिया गया है। राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टी में किये गये उक्त संशोधन/परिवर्तन को धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के अधीन दुरूस्त किया जा सकता है। अतः ग्राम पिपलोद की अराजी ख0नं0 603 रकबा 0.64 है0 पर प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू की विवादित आराजी ख0नं0 603 का रकबा 0.64 है0 के खातेदार बाबूलाल पुत्र मंगला जाति सहरिया के स्थान पर बाबूलाल पुत्र मंगला जाति **बोला (रेगर)** दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां